अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 | संख्या 95 | श्री विजय पुरम, गुरूवार, 09 अप्रैल 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए

द्वीपसमूह साहसिक पर्यटन एवं महासागरीय खेलों के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखने की ओर अग्रसर

राष्ट्रीय सर्फिंग चैंपियनशिप 'लिटिल अण्डमान प्रो 2026' आज से बटलर बे तट पर शुरू होगी

लिटिल अण्डमान, 8 अप्रैल

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के पर्यटन विभाग द्वारा सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से द्वीपसमूह में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की सर्फिंग चैंपियनशिप' लिटिल अण्डमान प्रो 2026' का आयोजन किया जा रहा है। 9 से 12 अप्रैल, 2026 तक आयोजित होने वाली यह चार दिवसीय चैंपियनशिप रमणीय बटलर बे तट में संपन्न होगी, जो क्षेत्र में जल क्रीड़ा एवं साहसिक पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध होगी।

अण्डमान तथा निकोबार पर्यटन द्वारा प्रस्तुत इस चैंपियनशिप में भारत के शीर्ष रैंकिंग प्राप्त सर्फर तथा स्टैंड–अप पैडल (एसयूपी) खिलाड़ी सीनियर वर्ग में सर्फिंग एवं स्टैंड–अप पैडल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों सहित लगभग 86 सर्फरों के भाग लेने की संभावना है, जो विभिन्न श्रेणियों–पुरुष ओपन सर्फिंग शॉर्टबोर्ड, महिला ओपन सर्फिंग शॉर्टबोर्ड, पुरुष ओपन स्टैंड–अप पैडलबोर्ड (एसयूपी) तथा महिला ओपन स्टैंड–अप पैडलबोर्ड (एसयूपी)–में प्रतिस्पर्धा करेंगे।

'लिटिल अण्डमान प्रो 2026' के आयोजन के साथ अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह साहसिक पर्यटन एवं महासागरीय खेलों के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखने की ओर अग्रसर है तथा लिटिल अण्डमान को भारत के उभरते सर्फिंग गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह चैंपियनशिप भारत के प्रतिस्पर्धात्मक सर्फिंग परिदृश्य के विस्तार की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। खिलाड़ियों को नई एवं तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण लहरों वाले वातावरण से परिचित कराते हुए यह आयोजन उन्हें मुख्यभूमि भारत के सामान्य समुद्री तटों से परे बहुमूल्य अनुभव प्रदान करेगा। इस स्तर के आयोजन राष्ट्रीय सर्फिंग प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विश्वभर में सर्फिंग की बढ़ती लोकप्रियता के साथ

ऐसे गंतव्यों का महत्व निरंतर बढ़ रहा है जो विश्वस्तरीय लहरों के साथ उत्तरदायी पर्यटन पद्धतियों का समन्वय प्रस्तुत करते हैं। स्वच्छ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र तथा संरक्षण–आधारित पर्यटन दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध अण्डमान द्वीपसमूह इस प्रकार के खेल आयोजनों के लिए आदर्श स्थल प्रदान करता है।

प्रतियोगिता के अतिरिक्त यह चैंपियनशिप सर्फिंग एवं महासागरीय खेलों के भावी केंद्र के रूप में द्वीपों की अपार संभावनाओं को भी रेखांकित करती है। स्वच्छ पारदर्शी जल, जीवंत प्रवाल भित्तियाँ तथा अनुकूल लहरों के निरंतर पैटर्न के कारण लिटिल अण्डमान साहसिक पर्यटकों और सर्फरों को निरंतर आकर्षित कर रहा है।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस आयोजन का उद्देश्य स्थानीय समुदायों को भी जोड़ना एवं प्रेरित करना है, जिससे महासागरीय खेलों के विकसित होते तंत्र में सहभागिता, प्रशिक्षण एवं रोज़गार के अवसर सृजित हो सकें। 'लिटिल अण्डमान प्रो 2026' सर्फिंग की भावना का उत्सव मनाने के साथ–साथ पर्यावरण जागरूकता एवं समुद्र के साथ सतत् एवं उत्तरदायी जुड़ाव को भी प्रोत्साहित करता है।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को भारत के अगले सर्फिंग हब के रूप में उभरने का संकेत देता है 'लिटिल अण्डमान प्रो 2026'

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह तेजी से भारत के अगले प्रमुख सर्फिंग गंतव्य के रूप में उभर रहे हैं। इस दिशा में अण्डमान तथा निकोबार पर्यटन विभाग ने खेल को बढ़ावा देने हेतु निर्णायक कदम उठाते हुए क्षेत्र में पहली बार राष्ट्रीय सर्फिंग एवं स्टैंड–अप पैडलिंग चैंपियनशिप" लिटिल अण्डमान प्रो 2026" के आयोजन की घोषणा की है। सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसयूपी) द्वारा आयोजित तथा अण्डमान पर्यटन के पूर्ण सहयोग से संपन्न होने वाली यह चैंपियनशिप 9 से 12 अप्रैल, 2026 तक लिटिल अण्डमान के मनमोहक बटलर बे में आयोजित की जाएगी। यह आयोजन पारंपरिक समुद्री तटीय क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए भारत के सर्फिंग मानचित्र के विस्तार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा।

अपने स्वच्छ समुद्री तटों, प्रवाल भित्तियों तथा निरंतर उपयुक्त लहरों के लिए प्रसिद्ध लिटिल अण्डमान उच्च स्तरीय सर्फिंग के लिए आदर्श परिस्थितियाँ प्रदान करता है। विशेष रूप से बटलर बे का रीफ ब्रेक देश के सर्वाधिक संभावनाशील सर्फिंग स्थलों में से एक के रूप में तेजी से पहचान बना रहा है, जहाँ शीर्ष स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन संभव है तथा जो भारत और विदेशों से सर्फरों को आकर्षित करने की क्षमता रखता है।

इस पहल से न केवल भारत में प्रतिस्पर्धी सर्फिंग के स्तर को ऊँचा उठाने की अपेक्षा है, बल्कि अण्डमान को समुद्री खेलों और साहसिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित कर द्वीपों के पर्यटन क्षेत्र को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।

यह कदम पर्यटन को बढ़ावा देने के साधन के रूप में खेलों के बढ़ते उपयोग को भी दर्शाता है, जहाँ विभिन्न गंतव्य नए दर्शकों को आकर्षित करने तथा विशिष्ट यात्रा अनुभव प्रदान करने हेतु विशिष्ट खेल आयोजनों में निवेश कर रहे हैं।

सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री अरुण वासु ने खेल के नए भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तार के महत्व पर प्रकाश

डालते हुए कहा "लिटिल अण्डमान में राष्ट्रीय चैंपियनशिप की शुरुआत भारतीय सर्फिंग के लिए एक बड़ा कदम है। बटलर बे जैसे रीफ ब्रेक परिस्थितियों में प्रतिस्पर्धा करने से हमारे खिलाड़ियों को अधिक तकनीकी लहरों का अनुभव प्राप्त होता है, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम अण्डमान पर्यटन के दूरदर्शी दृष्टिकोण और सहयोग के लिए आभारी हैं, जिन्होंने नए क्षेत्रों में इस खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।"

लिटिल अण्डमान प्रो के आयोजन के साथ ही इन द्वीपों की भारत के सर्फिंग तंत्र में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होने की संभावना है, जिससे खिलाड़ियों के विकास, स्थानीय समुदाय की भागीदारी तथा पर्यटन–आधारित आर्थिक वृद्धि के नए अवसर उत्पन्न होंगे।

जैसे–जैसे भारत में सर्फिंग की लोकप्रियता बढ़ रही है, इस प्रकार की पहलें खेल और पर्यटन के बीच बढ़ते सामंजस्य को रेखांकित करती हैं और अण्डमान देश के विकसित होते सर्फिंग परिदृश्य में एक प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। (स्रोत : http://sports.ndtv.com/)

भातूबस्ती की नौशाद कॉलोनी में चला अतिक्रमण बेदखली अभियान

श्री विजय पुरम, 8 अप्रैल

सरकारी भूमि को अवैध कब्ज़ों से सुरक्षित रखने के अपने सतत प्रयासों के अंतर्गत दक्षिण अण्डमान के राजस्व विभाग द्वारा आज गाराचरामा ग्राम के अंतर्गत नौशाद कॉलोनी, भातूबस्ती में विशेष अतिक्रमण बेदखली अभियान चलाया गया। निरीक्षण के दौरान सरकारी भूमि पर 2 अस्थायी संरचनाओं तथा 1 बाड़बंदी के रूप में ताज़ा अवैध अतिक्रमण पाया गया। तत्पश्चात राजस्व विभाग की टीम ने आवश्यक जनशक्ति एवं हिटैची मशीन सहित भू–समतलीकरण उपकरणों की सहायता से तत्काल कार्रवाई करते हुए

अतिक्रमण हटाने का अभियान संचालित किया। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप लगभग 500 वर्ग मीटर सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर पुनः सरकारी खाते में बहाल किया गया। यह अभियान शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न किया गया तथा भूमि को पुनः राजस्व अभिलेखों के अंतर्गत सुरक्षित किया गया।

दक्षिण अण्डमान के उपायुक्त द्वारा जारी विज्ञप्ति में दक्षिण अण्डमान ज़िला प्रशासन ने एक बार पुनः सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के प्रति अपनी शून्य–सहनशीलता नीति दोहराते हुए नागरिकों से सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्ज़ा न करने तथा सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा हेतु प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत हेतु आम जन ज़िला नियंत्रण कक्ष से फोन नंबरों 03192–240127/238881/1070/9531888844 (व्हाट्सऐप) पर संपर्क कर सकते हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी, ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

घटते जलस्तर के बीच पानी के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु नगरवासियों के सहयोग की प्रशासन ने की सराहना

श्री विजय पुरम, 8 अप्रैल

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन दक्षिण अण्डमान के निवासियों द्वारा जल के विवेकपूर्ण एवं ज़िम्मेदार उपयोग के प्रति अपनाए जा रहे सतत सहयोग और सजगता की हार्दिक सराहना करता है, विशेषकर ऐसे समय में जब धानीखाड़ी बांध सहित प्रमुख जलस्रोतों के जलस्तर में निरंतर गिरावट दर्ज़ की जा रही है।

वर्तमान स्थिति का मुख्य कारण गत वर्ष धानीखाड़ी क्षेत्र में दर्ज़ हुई अत्यंत कम वर्षा है, जिसके परिणामस्वरूप जल उपलब्धता में उल्लेखनीय कमी आई है। वर्षा के आंकड़े स्पष्ट रूप से अपर्याप्त वर्षण की चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, विशेषकर गत वर्ष के उत्तर–पूर्व मानसून के दौरान हुई अल्पवृष्टि ने जलाशयों के जलस्तर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है।

धानीखाड़ी बांध का वर्षा आंकड़ा (मिलीमीटर में)

महीना	2020	2021	2022	2023	2024	2025
नवम्बर	335	370	175	195	328	80
दिसम्बर	605	270	95	35	333	90
महीना	2021	2022	2023	2024	2025	2026
जनवरी	20	70	3	105	50	10
फरवरी	0	125	0	0	28	15
मार्च	10	260	0	25	0	10
अप्रैल	215	100	10	0	159	
मई	993	760	41	823	499	
जून	436	361	770	940	1395	
जुलाई	1285	455	556	576	405	
कुल	3899	2771	1650	2699	3197	205

घटते जल प्रवाह एवं सीमित जल भंडार को दृष्टिगत रखते

हुए प्रशासन ने जल संरक्षण के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व निभाने की आवश्यकता पर बल दिया है। नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे जल की बर्बादी से बचें, दैनिक कार्यों में जल–संरक्षण संबंधी उपाय अपनाएँ तथा उपलब्ध जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक एवं ज़िम्मेदारी से उपयोग सुनिश्चित करें।

एपीडब्ल्यूडी से प्राप्त विज्ञप्ति में सामान्य जनों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे जलापूर्ति प्रणाली में कहीं भी रिसाव अथवा जल की बर्बादी दिखाई देने पर सतर्क रहें तथा

शेष पृष्ठ 4 पर

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 'टीबी मुक्त भारत ऐप' लॉन्च

नागरिकों से उपयोग एवं सहभागिता की अपील

श्री विजय पुरम, 8 अप्रैल

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय क्षय रोग प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के अंतर्गत 'टीबी मुक्त भारत ऐप' लॉन्च किया गया है। यह एक डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य क्षय रोग (टीबी) देखभाल को सुदृढ़ करना, जन–जागरूकता बढ़ाना तथा टीबी उन्मूलन प्रयासों में सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना है। टीबी मुक्त भारत ऐप एक उपयोगकर्ता–अनुकूल डिजिटल मंच है, जिसे टीबी से संबंधित जानकारी एवं सेवाओं तक सरल पहुँच प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। यह ऐप टीबी रोगियों को उनके उपचार के दौरान उपचार संबंधी मार्गदर्शन, दवा अनुपालन सहयोग तथा अनुवर्ती सहायता प्रदान करता है। रोगी–केंद्रित सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु इसे निक्षय जैसी मौजूदा प्रणालियों से भी एकीकृत किया गया है।

रोगी सहायता के अतिरिक्त यह ऐप टीबी से संबंधित सही एवं प्रामाणिक जानकारी–जैसे लक्षण, रोकथाम एवं उपचार–के प्रसार का प्रभावी माध्यम है, जिससे टीबी के प्रति सामाजिक

शेष पृष्ठ 4 पर

जीबी पंत अस्पताल में ओपीडी पंजीकरण केवल आभा/हेल्थ आईडी के माध्यम से किए जाएंगे

श्री विजय पुरम, 8 अप्रैल

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसे वर्ष 2021 में देशभर में एक एकीकृत एवं समन्वित डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणाली के विभिन्न हितधारकों के बीच विद्यमान अंतराल को दूर करना तथा स्वास्थ्य आंकड़ों के मानकीकृत एवं सुरक्षित आदान–प्रदान को सक्षम बनाना है। एबीडीएम के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा)/हेल्थ आईडी नागरिकों को एक विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य पहचान प्रदान करता है। इसके माध्यम से व्यक्तिगत स्वास्थ्य अभिलेखों तक सुरक्षित पहुँच प्राप्त होती है तथा रोगी की सहमति के आधार पर उन्हें विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के बीच सहज रूप से साझा किया जा सकता है। केंद्रशासित प्रदेश में आयुष्मान भारत डिजिटल

शेष पृष्ठ 4 पर

तेल रिसाव घटनाओं से निपटने हेतु 'ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स ट्रेनिंग' आयोजित

श्री विजय पुरम, 8 अप्रैल

नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, श्री विजय पुरम द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के सहयोग से 7 एवं 8 अप्रैल को डेढ़ दिवसीय 'ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स ट्रेनिंग' कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के नाजुक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करने वाली तेल रिसाव घटनाओं से निपटने हेतु आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन श्री उमा शंकर, प्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के पर्यवेक्षण में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न हितधारक विभागों की तैयारी, समन्वय एवं प्रतिक्रिया क्षमता को सुदृढ़ करना था। प्रशिक्षण के दौरान पूर्व में हुई तेल रिसाव घटनाओं के विस्तृत केस स्टडी प्रस्तुत किए गए, जिनसे वास्तविक चुनौतियों एवं सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों की व्यावहारिक जानकारी प्राप्त हुई। अपशिष्ट प्रबंधन पर आयोजित सत्रों में तेल से दूषित पदार्थों के सुरक्षित संग्रहण, भंडारण एवं पर्यावरणीय रूप से सतत निस्तारण के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने हेतु प्रतिभागियों को कार्बाइन्स कोव तट का भ्रमण कराया गया, जहाँ तटीय मूल्यांकन एवं सफाई तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। प्रतिभागियों ने पॉल्यूशन रिस्पॉन्स टीम (पीआरटी), अण्डमान तथा निकोबार का भी दौरा कर भारतीय तटरक्षक बल द्वारा उपलब्ध उपकरणों, संसाधनों एवं परिचालन तैयारी की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न हितधारक विभागों के कुल 28 प्रतिभागियों ने सक्रिय सहभागिता की। संवादात्मक सत्रों ने विचारों एवं अनुभवों के आदान–प्रदान को प्रोत्साहित किया, जिससे विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ।

आईडीई बूटकैंप 2026 के तीसरे दिन प्रतिभागियों को प्रोटोटाइप निर्माण एवं व्यवसायिक रणनीति की दी गई जानकारी

श्री विजय पुरम, 8 अप्रैल

डॉ. बी.आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान (डीब्राइट) में आयोजित आईडीई बूटकैंप 2026 के तीसरे दिन ने समस्या की पहचान से समाधान विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज़ की। दिन की थीम "फ्रॉम प्रोटोटाइप टू बिज़नेस" रही। श्री सरीम मोइन, इनोवेशन ऑफिसर, शिक्षा मंत्रालय इनोवेशन सेल तथा श्रीमती अन्बुमति, इनोवेशन वेंचर कैटेलिस्ट एवं डिज़ाइन थिंकिंग विशेषज्ञ, वाधवानी फाउंडेशन के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों को प्रोटोटाइप निर्माण एवं व्यवसायिक रणनीति के व्यावहारिक पहलुओं से अवगत कराया गया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार सत्रों के दौरान लीन कैनवास मॉडल पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे प्रतिभागियों को अपने विचारों को व्यवहार्य व्यवसायिक ढाँचे में रूपांतरित करने की समझ प्राप्त हुई। प्रतिभागियों को व्यावहारिक एवं वास्तविक क्षेत्रीय अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को गणेश फ्लोर मिल तथा अण्डमान ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, बर्ड लाइन, श्री विजय पुरम का निर्देशित स्टार्टअप भ्रमण भी कराया गया।

इग्नू का 39वाँ दीक्षांत समारोह संपन्न

श्री विजय पुरम, 8 अप्रैल

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) का 39वाँ दीक्षांत समारोह कल आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ इग्नू मुख्यालय से ऑनलाइन प्रसारण, राष्ट्रगीत एवं कुलगीत के साथ हुआ।

इग्नू क्षेत्रीय केंद्र, श्री विजय पुरम में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. एस. दिनेश कन्नन (आईएफएस), मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव, अनुसंधान एवं कार्य योजना), पर्यावरण एवं वन विभाग रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन में नए मार्ग प्रशस्त करती है और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील भूमि के प्रति जागरूकता एवं शिक्षण के महत्व पर बल दिया। डॉ. सी. शिवपेरुमन, वैज्ञानिक–एफ एवं पाठ्यक्रम निदेशक, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, अण्डमान तथा निकोबार क्षेत्रीय केंद्र ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों से उत्कृष्टता प्राप्त करने एवं स्वस्थ जीवनशैली हेतु निरंतर

प्रयासरत रहने का आह्वान किया। 39वें दीक्षांत समारोह हेतु कुल 944 विद्यार्थी उपाधि/डिप्लोमा प्राप्त करने के पात्र थे, जिनमें से 112 विद्यार्थियों ने समारोह में भाग लिया। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र, श्री विजय पुरम के क्षेत्रीय निदेशक प्रो. (डॉ.) सुनील जैकब ने बताया कि इग्नू क्षेत्रीय केंद्र द्वारा यूबीए योजना के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा छोलदारी ग्राम को विज्ञान ग्राम के रूप में अपनाया गया है।

पोश अधिनियम पर प्रशिक्षण

श्री विजय पुरम, 8 अप्रैल

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पोश एक्ट) के प्रावधानों पर श्रम एवं रोज़गार विभाग के कर्मचारियों हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल सुरक्षा एवं लैंगिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार सत्र का उद्देश्य प्रतिभागियों को अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों की भूमिकाओं तथा कार्यस्थल उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की रोकथाम एवं निवारण की व्यवस्थाओं से अवगत कराना था। कार्यक्रम की संसाधन वक्ता श्रीमती रूबीना सिद्दीक़ी ने प्रभावी सत्र प्रस्तुत करते हुए अधिनियम के व्यावहारिक क्रियान्वयन तथा सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण के महत्व पर

प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी रही तथा संवादात्मक चर्चा के माध्यम से अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ। इस प्रकार की पहलें विभाग की सुरक्षित, समावेशी एवं गरिमापूर्ण कार्यस्थल के प्रति प्रतिबद्धता को पुनः रेखांकित करती हैं।

शियाद ने जेएनआरएम के विद्यार्थियों को किया प्रेरित

श्री विजय पुरम, 8 अप्रैल

आज जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय (जेएनआरएम) में प्रेरणादायी व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसमें यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में अखिल भारतीय रैंक (एआईआर) 743 प्राप्त करने वाले श्री शियाद ने विद्यार्थियों से संवाद किया। विम्बर्लीगंज, दक्षिण अण्डमान निवासी श्री शियाद ने अपने साधारण पृष्ठभूमि से सफलता तक के प्रेरक सफर को साझा करते हुए अपनी शैक्षणिक यात्रा एवं अनेक प्रयासों के दौरान दिखाई गई दृढ़ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने सफलता प्राप्त करने हेतु निरंतरता, केंद्रित तैयारी तथा आत्मविश्वास के महत्व पर बल दिया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार डॉ. पर्ल देवदास, प्राचार्या, जेएनआरएम ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया। कार्यक्रम का समन्वयन डॉ. पी. अब्दुल सलाम, सहायक प्राध्यापक,

जेएनआरएम द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों, संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का समापन प्रश्नोत्तर सत्र के साथ हुआ, जिसमें विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी एवं सिविल सेवा परीक्षाओं के प्रति गहरी रुचि परिलक्षित हुई।

'डीब्राइट' में बाल मनोविज्ञान संबंधी संवादात्मक सत्र

श्री विजय पुरम, 8 अप्रैल

यहां के डॉ. बी.आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान (डीब्राइट) में 4 अप्रैल को 'मन की उड़ान' शीर्षक से बाल मनोविज्ञान पर एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं समग्र विकास को प्रोत्साहित करने हेतु मनो–शैक्षिक पहल के रूप में आयोजित किया गया, जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के दिशा–निर्देशों के अनुरूप था। सत्र के दौरान किशोर मानसिक स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की गई, जिनमें विकसित हो रहे मस्तिष्क की समझ, अवसाद एवं भावनात्मक तनाव के प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की पहचान तथा जोखिमग्रस्त विद्यार्थियों की समय रहते पहचान करना शामिल था।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार सत्र का संचालन डॉ. जया श्री

सर चौधरी, मनोवैज्ञानिक एवं शोधकर्ता तथा श्रीमती जयंती मुखर्जी, परामर्श मनोवैज्ञानिक एवं माइंडफुलनेस–आधारित लाइफ स्किल्स प्रशिक्षक, कोलकाता, पश्चिम बंगाल द्वारा किया गया। संसाधन व्यक्तियों ने तनाव प्रबंधन, भावनात्मक संतुलन एवं माइंडफुलनेस अभ्यास पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, जिसे प्रतिभागियों द्वारा अत्यंत सराहा गया।

जीबी पंत अस्पताल में ओपीडी पंजीकरण ——————————पृष्ठ 1 का शेष

मिशन के कार्यान्वयन के क्रम में यह सूचित किया जाता है कि जीबी पंत अस्पताल में अब से सभी बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) पंजीकरण केवल आभा/हेल्थ आईडी के माध्यम से किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य ओपीडी सेवाओं को अधिक तीव्र, रोगियों की पहचान को अधिक सटीक तथा चिकित्सा अभिलेखों के सुरक्षित डिजिटल आदान–प्रदान को सुनिश्चित करना है।

जीबी पंत अस्पताल आने वाले रोगियों से अनुरोध किया गया है कि वे ओपीडी पंजीकरण हेतु अपना आभा/हेल्थ आईडी, अथवा उससे लिंक मोबाइल नंबर, अथवा आधार से लिंक मोबाइल नंबर साथ लेकर आएँ। रोगियों की सुविधा बढ़ाने के लिए स्कैन एंड शेयर सुविधा भी जीबी पंत अस्पताल, आरपी अस्पताल, मायाबंदर तथा बीजेआर अस्पताल, कार निकोबार में प्रारंभ की गई है। इस सुविधा के माध्यम से रोगी क्यूआर कोड स्कैन कर ओपीडी टोकन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे प्रतीक्षा समय कम होगा और सेवाओं तक शीघ्र पहुँच संभव होगी। उक्त अस्पतालों के ओपीडी पंजीकरण काउंटरों पर समर्पित सहायता कर्मियों की तैनाती की गई है, जो आवश्यकता पड़ने पर रोगियों को स्कैन एंड शेयर तथा आभा निर्माण में सहायता प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त, जीबी पंत अस्पताल के ओपीडी परिसर में आभा/हेल्थ आईडी निर्माण हेतु पृथक काउंटर स्थापित किया गया है। यह काउंटर सोमवार से शुक्रवार, शाम 3 बजे से शाम 4.30 बजे तक संचालित होगा, जहाँ नियुक्त कर्मचारी आभा निर्माण में सहायता करेंगे। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार रोगी अपना आभा/हेल्थ आईडी आधिकारिक वेबसाइट **https://abha.abdm.gov.in** पर जाकर अथवा निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से भी बनवा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य पहल के सफल एवं सुचारु कार्यान्वयन हेतु सभी रोगियों एवं उनके सहयोगियों से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की गई है।

घटते जलस्तर के बीच पानी के विवेकपूर्ण ——————————पृष्ठ 1 का शेष

इसकी सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई कर इस महत्वपूर्ण संसाधन की अनावश्यक हानि को रोका जा सके। इस प्रकार की शिकायतें अण्डमान लोक निर्माण विभाग (एपीडब्ल्यूडी) को 251185 तथा श्री विजय पुरम नगरपालिका परिषद (एसवीपीएमसी) को 231179 पर दी जा सकती हैं। प्रशासन ने पुनः स्पष्ट किया है कि इस संवेदनशील समय में जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, ताकि सभी निवासियों को जल का समान वितरण एवं निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। वर्तमान चुनौती से निपटने तथा भविष्य के लिए जल संसाधनों की सुरक्षा हेतु जनसहयोग की निरंतर आवश्यकता बनी रहेगी।

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत ——————————पृष्ठ 1 का शेष

कलंक कम करने तथा शीघ्र निदान को प्रोत्साहन मिलने की अपेक्षा है। ऐप की एक प्रमुख विशेषता निक्षय मित्र पहल के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। आम जन, संस्थान, कॉरपोरेट तथा विभिन्न संगठन ऐप के माध्यम से निक्षय मित्र के रूप में पंजीकरण कर टीबी रोगियों को उनके उपचार अवधि के दौरान पोषण, सामाजिक अथवा वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं।

ऐप में "खुशी–आपके ई–संगिनी" नामक एक इंटरएक्टिव चैटबॉट भी उपलब्ध है, जिसे टीबी संबंधी त्वरित, विश्वसनीय एवं उपयोगकर्ता–अनुकूल जानकारी प्रदान करने हेतु विकसित किया गया है। यह चैटबॉट लक्षण, निदान, उपचार तथा उपलब्ध सरकारी सहायता सेवाओं से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देकर रोगियों एवं आमजन का मार्गदर्शन करता है तथा समयबद्ध रूप से शंकाओं का समाधान करता है।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार क्षय रोग अभी भी एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है, तथापि समय पर निदान एवं उचित उपचार से यह पूर्णतः उपचार योग्य रोग है। टीबी मुक्त भारत ऐप जैसी डिजिटल पहलों के माध्यम से जागरूकता की कमी दूर करने, उपचार अनुपालन में सुधार लाने तथा सामुदायिक सहयोग को संगठित करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। सामान्य जनों से आग्रह किया गया है कि वे टीबी मुक्त भारत ऐप डाउनलोड कर इसका सक्रिय उपयोग करें तथा निक्षय मित्र के रूप में पंजीकरण कर जरूरतमंद टीबी रोगियों की सहायता हेतु सार्थक योगदान दें। टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समाज के सभी वर्गों के सामूहिक प्रयास एवं सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। नागरिकों से इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बनने का आह्वान किया गया है।

ज़िला अस्पताल, गाराचरामा में यूडीआईडी योजना पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित

श्री विजय पुरम, 8 अप्रैल

समाज कल्याण विभाग द्वारा आज ज़िला अस्पताल, गाराचरामा, श्री विजय पुरम में विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र (यूडीआईडी) योजना पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, नर्सिंग एवं चिकित्सा कर्मियों तथा आमजन ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान समाज कल्याण विभाग एवं समग्र क्षेत्रीय केन्द्र (सीआरसी) के संसाधन व्यक्तियों ने प्रतिभागियों को दिव्यांगता एवं यूडीआईडी योजना के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। पुनर्वास अधिकारी, सामुदायिक विकास खंड, ब्रुक्शाबाद ने दिव्यांगताओं के प्रकार, यूडीआईडी कार्ड की श्रेणियों तथा दिव्यांगता प्रमाणन प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी। इसके पश्चात राज्य समन्वयक (यूडीआईडी), समाज कल्याण विभाग ने यूडीआईडी पंजीकरण प्रक्रिया एवं संबंधित तकनीकी पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करते हुए पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इसके अतिरिक्त, दिव्यांगता प्रभारी ने दिव्यांगजन हेतु

उपलब्ध विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं लाभों की जानकारी देते हुए इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए यूडीआईडी कार्ड के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का उद्देश्य यूडीआईडी योजना के अंतर्गत जागरूकता बढ़ाना एवं पंजीकरण को प्रोत्साहित करना था, ताकि दिव्यांगजनों को सेवाओं एवं अधिकारों तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित की जा सके। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें सभी प्रतिभागियों के सहयोग एवं सहभागिता की सराहना की गई।

'संस्कृति–2026' अंतर–महाविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव का भव्य शुभारंभ

श्री विजय पुरम, 8 अप्रैल

"संस्कृति–2026: अण्डमान तथा निकोबार अंतर–महाविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव" का भव्य उद्घाटन आज यहां के टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में हुआ, जो 15 अप्रैल, 2026 तक चलेगा। इस आयोजन के साथ अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के उच्च शिक्षण संस्थानों में युवा ऊर्जा, संस्कृति एवं सृजनात्मकता के उत्सव का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम को श्री एल. कुमार (आईएएस), सचिव (शिक्षा) का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तथा श्री आदित्य सांगोत्रा, निदेशक (शिक्षा) ने अतिथि–विशेष के रूप में समारोह की गरिमा बढ़ाई। कार्यक्रम में शिक्षा जगत से जुड़े अनेक गणमान्य व्यक्तियों एवं प्रतिभागियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत भाषण से हुआ, जिसके उपरांत उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने प्रेरणादायी संबोधन देते हुए द्वीपों के विद्यार्थियों के लिए अंतर–महाविद्यालयीय सांस्कृतिक मंच उपलब्ध कराने की इस पहल की सराहना की।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक देशभक्ति गीत प्रतियोगिता में भाग लेते हुए देशभक्ति, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता एवं युवा ऊर्जा को अपनी प्रभावशाली प्रस्तुति एवं कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रदर्शित किया। इसके अतिरिक्त "विकसित भारत@2047" विषय पर आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में भी विद्यार्थियों ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उद्घाटन समारोह में विद्यार्थियों, संकाय सदस्यों, आमंत्रित अतिथियों एवं आमजन की सक्रिय भागीदारी रही, जिससे सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ अत्यंत सफल एवं स्मरणीय बना।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

श्री विजय पुरम दिनांक 6 अप्रैल, 2026

सं– 70/2026/फाइल सं. 2–116/2026– राजस्व.– जनगणना नियमावली, 1990 के नियम 8(ii) के साथ पठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 12.03.2026 की पत्र सं. 9/3/2026-CD (Cen.)1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतदद्वारा संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की आम जनता से जनगणना के दौरान उनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों के संबंध में सटीक और स्पष्ट जानकारी देने में सहयोग करने की अपील करते हैं, और ऐसा न करने पर वे जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 11 के तहत निर्धारित दंडों से दंडनीय होगा :

i जनगणना, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाइयों अर्थात ; ग्रामीण क्षेत्रों में गाँवों और शहरी क्षेत्रों में नगरों/वार्डों तक आवास की स्थिति, सुख–सुविधाओं और संपत्तियों, जनसांख्यिकी, साक्षरता, धर्म, आर्थिक गतिविधियों, प्रवासन, प्रजनन क्षमता आदि से संबंधित डेटा का प्राथमिक स्रोत है। इसका उपयोग केंद्र/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों द्वारा आयोजन एवं नीति–निर्माण तथा प्रभावी लोक प्रशासन में व्यापक रूप से किया जाता है। इसके अलावा, जनगणना डेटा का उपयोग संसदीय, विधानसभा, पंचायतों तथा अन्य स्थानीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और आरक्षण हेतु किया जाता है। अतः आम जनता से अपेक्षा की जाती है कि वे जनगणना कार्य में सहयोग करें और सही जानकारी प्रदान करें। जनगणना अधिनियम, 1948 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को आम जनता की सूचना के लिए नीचे पुनः उद्धृत किया गया है।

ii धारा 8 :– प्रश्न पूछना और उत्तर देने का दायित्व :

1. एक जनगणना अधिकारी उस स्थानीय क्षेत्र, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है, की सीमाओं के भीतर रहने वाले सभी व्यक्तियों से ऐसे सभी प्रश्न पूछ सकता है, जो केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए अनुदेशों, जिन्हें शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, के द्वारा उसे पूछने का निर्देश दिया गया है।

2. प्रत्येक व्यक्ति, जिससे उप–धारा (1) के तहत कोई प्रश्न पूछा जाता है, तब वह ऐसे प्रश्न का उत्तर अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार देने के लिए विधिक रूप से बाध्य होगा :

परंतु यह कि किसी भी व्यक्ति को अपने घर के किसी महिला सदस्य का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, और न ही किसी भी महिला को अपने पति, दिवंगत पति, या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति का नाम बताने के लिए बाध्य किया जाएगा, जिसका नाम लेना उसकी प्रथाओं / रीति–रिवाजों के अनुसार वर्जित है।

iii धारा 9 :– अधिभोगी द्वारा प्रवेश करने और संख्याएँ अंकित करने/चिपकाने की अनुमति देना:

किसी भी मकान, अहाते, जलयान या अन्य स्थान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जनगणना अधिकारियों को उस स्थान पर प्रवेश/ पहुँचने की उतनी अनुमति देगा जितनी उन्हें जनगणना के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो और जो देश के रीति–रिवाजों / परंपराओं के अनुसार उचित हो, और साथ ही उन्हें उस स्थान पर ऐसे अक्षरों, निशानों या संख्याओं को लिखने या लगाने की अनुमति देगा, जो जनगणना के प्रयोजन हेतु आवश्यक हो।

iv धारा 10 :– अधिभोगी या प्रबंधक द्वारा अनुसूची को भरा जाना :

1. इस संबंध में जनगणना आयुक्त द्वारा जारी किए जाने वाले ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जनगणना अधिकारी द्वारा उस स्थानीय क्षेत्र, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है, के भीतर स्थित किसी भी रिहायशी मकान पर या किसी वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रतिष्ठान के प्रबंधक या किसी अधिकारी के पास, एक प्रपत्र/अनुसूची (schedule) को उस मकान में रहने वाले लोगों द्वारा या उस प्रबंधक या अधिकारी के द्वारा या उस प्रबंधक या अधिकारी के द्वारा नियोजित व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, के द्वारा उस अनुसूची को पूर्ण रूप से या उसके किसी भाग को भरने के प्रयोजन लिए छोड़ सकता है या रखवा सकता है और उस प्रपत्र पर उस मकान या उसके किसी भाग में रहने वाले लोगों के ऐसे विवरणों को भरा जाएगा जैसा कि जनगणना आयुक्त के द्वारा जनगणना के दौरान निर्देशित किया जाएगा।

2. जब ऐसे प्रपत्र/अनुसूची को छोड़ा/रखवाया गया हो, तो उक्त अधिभोगी, प्रबंधक या अधिकारी या उस प्रबंधक या अधिकारी के द्वारा नियोजित व्यक्ति, जैसा भी मामला हो,उसे अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास से ऐसे मकान या उसके किसी हिस्से में रहने वाले व्यक्तियों, जैसा भी मामला हो, के संबंध में विवरणों को उल्लिखित समय पर प्रपत्र में भरेगा या भरवाएगा और ऐसे अपेक्षा करने पर वह उसमें अपना नाम लिखकर हस्ताक्षर करेगा और वह ऐसे भरे हुए एवं हस्ताक्षरित प्रपत्र/अनुसूची को जनगणना अधिकारी को या जनगणना अधिकारी के द्वारा निर्देशित अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को सौंप देगा।

v धारा 11 :– दंड/शास्तियाँ :

(1) (क) कोई जनगणना अधिकारी या कोई व्यक्ति जिससे विधिपूर्वक जनगणना कराने में सहायता प्रदान करने की अपेक्षा की गई हो और जो इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के द्वारा उसको सौंपे गए किसी कर्तव्य का निर्वहन करने से इनकार करता है, या कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऐसे किसी कर्तव्य का निर्वहन करने में बाधा पहुँचाता है या व्यवधान उत्पन्न करता है, या

(कक) कोई जनगणना अधिकारी या कोई व्यक्ति जिससे विधिपूर्वक जनगणना कराने में सहायता प्रदान करने की अपेक्षा की गई हो और जो इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के द्वारा उसको सौंपे गए किसी कर्तव्य का निर्वहन करने या आदेशों का पालन करने में समुचित तत्परता बरतने में लापरवाही करता है, या कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऐसे किसी कर्तव्य का निर्वहन करने या ऐसे आदेशों का पालन में बाधा पहुँचाता है या व्यवधान उत्पन्न करता है, या;

(घ) कोई व्यक्ति, जो जनगणना अधिकारी द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का जानबूझकर गलत उत्तर देता है, या अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार उत्तर देने से इनकार करता है, जिसका उत्तर देने के लिए वह धारा 8 के तहत विधिक रूप से बाध्य है, या

(ङ) कोई व्यक्ति, जो किसी मकान, अहाते, जहाज या अन्य स्थान पर रह रहा है और जनगणना अधिकारी को उस स्थान पर ऐसे उचित प्रवेश की अनुमति देने से इनकार करता है, जिसका धारा 9 के तहत अनुमति प्रदान करने हेतु उससे अपेक्षा की गई है, या

(च) कोई व्यक्ति, जो जनगणना के प्रयोजन के लिए लिखे गए या चिपकाए गए किसी अक्षर, चिह्न या संख्या को हटाता है, मिटाता है, बदलता है, या नुकसान पहुंचाता है, या

(छ) कोई व्यक्ति जिससे धारा 10 के अंतर्गत कोई प्रपत्र/अनुसूची को भरने की अपेक्षा की गई है और वह जानबूझकर एवं बिना पर्याप्त कारण के उस धारा के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है, या उसके अंतर्गत कोई गलत विवरण देता है, या

(ज) कोई व्यक्ति, जो जनगणना कार्यालय में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करता है, वह जुर्माने से दंडनीय होगा, जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है; और भाग (क) के तहत दोष सिद्धि होने पर, उसे कारावास से भी दंडित किया जाएगा, जो तीन वर्ष तक का हो सकता है।

(2) जो कोई उप–धारा (1) के तहत किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो एक हज़ार रुपये तक का हो सकता है।

vi धारा 15:– जनगणना का अभिलेख न तो निरीक्षण के लिए खुले होते हैं और न ही साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होते हैं :

किसी भी व्यक्ति को जनगणना अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में बनाई गई किसी भी पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख का, अथवा धारा 10 के अधीन दिए गए किसी भी प्रपत्र/अनुसूची का निरीक्षण करने का अधिकार नहीं होगा; और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) में इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, किसी भी ऐसे पुस्तक, रजिस्टर, अभिलेख/रिकॉर्ड या प्रपत्र/अनुसूची की किसी भी प्रविष्टि को किसी दीवानी मामले की कार्यवाही में या किसी फौजदारी मामले की कार्यवाही में, सिवाय इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के तहत चलाए जा रहे किसी ऐसे अभियोजन, जो किसी ऐसे कृत्य या चूक के लिए हो, जिसे इस अधिनियम के तहत एक अपराध माना गया है, साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ह./–
(ए. येसु राज)
सहायक सचिव (राजस्व)
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

श्री विजय पुरम, दिनांक 1 अप्रैल, 2026

सं. 69/2026/फा.सं. 34–725/2026–राजस्व. – **चूंकि**, 'भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' की धारा 11(1) के तहत दक्षिण अण्डमान जिला के फरारगंज तहसील के होपटाउन गाँव में सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भारतीय तेल निगम लिमिटेड (IOCL) के लिए 'विद्यमान POL टर्मिनल को हैडो से होपटाउन गाँव में स्थानांतरण" हेतु 6.8244 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई, जो दिनांक 29.01.2025 को अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

और, चूंकि, भारतीय तेल निगम लिमिटेड (IOCL) ने दिनांक 04.12.2025 के अपने पत्र द्वारा उक्त अधिग्रहण को वापस करने का अनुरोध किया है, क्योंकि होपटाउन में भारतीय तेल निगम लिमिटेड (IOCL) को एक नया POL टर्मिनल बनाने के लिए आबंटन हेतु प्रस्तावित भूमि IPZ अधिसूचना, 2011 के अनुसार ICRZ IA, IB और CRZ III क्षेत्रों के अंतर्गत आती है; और जबकि पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट (POL) के भंडारण एवं प्रबंधन/हैंडलिंग की सुविधाएं हेतु अवसंरचनाओं का निर्माण ICRZ III क्षेत्रों में अनुज्ञेय है बशर्ते इसके लिए CRZ अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त हो और ऐसे अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण ICRZ IA एवं IB क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता है।

अब, इसलिए, 'भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' की धारा 93(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतदद्वारा दिनांक 29.01.2025 के प्रारंभिक अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित भूमि के अधिग्रहण को वापस करते हैं और उक्त भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करते हैं/गैर–अधिसूचित करते हैं।

मुक्त किए गए/गैर–अधिसूचित भूमि का विवरण

क्र. सं.	अभिधारी (टेनेंट) का नाम	सर्वेक्षण सं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वर्गीकरण	सीमाएं			
					उ.	द.	पू.	प.
1.	गीता बाई, पत्नी स्वर्गीय सुख लाल	1/1/71 2/1/72	1.36 0.29	पहाड़ी	71/1/3	71/2 तथा 60	73/2, 72/1, 72/2/पी तथा 71/2	63, 64 तथा 65
				पहाड़ी	70/2 तथा 70/17	71/1/3	73/1	65, 66 तथा 67
2.	सुमित्रा देवी एवं 02 अन्य (स्वर्गीय जय चंद लाल की सुपुत्री तथा सुपुत्र)	2/71	0.01	पहाड़ी	71/1/1	60	72/2/पी	71/1/1
3.	टी. एन्टोनी एवं 01 अन्य	72/1	0.51	पहाड़ी	74/2	72/2/पी	74/2	71/1/1
		72/2/पी	1.00	वाणिज्यिक	72/1	61 तथा 62	74/2 तथा 78	71/1/1 तथा 71/2
		73/1	0.1375	पहाड़ी	70/17	73/3	70/17	71/1/2
		73/2	0.1365	पहाड़ी	73/3	71/1/1	74/2	71/1/1
		74/1	0.9713	पहाड़ी	ना	74/3	74/1/पी	70/17
		74/2	0.3621	पहाड़ी	74/3, 75/1	72/1 तथा 72/2/पी	74/2/पी	73/2
		75/1	0.0270	पहाड़ी	75/2	74/2	74/2	74/2
4.	भगवती देवी एवं 03 अन्य	70/2	1.9700	पहाड़ी	70/18	71/1/2	70/3 तथा 70/17	65 तथा 70/18
		70/3	0.05	हाउस साइट	70/2	70/2	70/17	70/2
		कुल	**6.8244**					

इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 93(2) के तहत प्रावधानित अनुसार, कलेक्टर (भूमि अधिग्रहण), दक्षिण अण्डमान द्वारा पूर्व से चल रहे इस भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के कारण भूमि के मालिकों को हुई क्षति, यदि कोई हो, का विधि अनुसार निर्धारण कर मुआवजा का भुगतान किया जाएगा।

एडमिरल डी. के. जोशी
पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अवकाश प्राप्त)
उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह।

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
के आदेश से एवं उनके नाम पर,
ह./–
(येशु राज)
सहायक सचिव (राजस्व)

असम, केरल और पुडुचेरी में कुल 296 सीटों पर आज मतदान

नई दिल्ली, 08 अप्रैल। असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर अब पूर्ण रूप से थम चुका है। गुरुवार को इन तीनों क्षेत्रों की कुल 296 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होने हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार, असम की 126, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी।

असम की बात करें तो यहां कुल 2.5 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 1.25 करोड़ पुरुष, 1.25 करोड़ महिलाएं और 343 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। खास बात यह है कि 18–19 वर्ष आयु वर्ग के करीब 5.75 लाख युवा पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। असम की 126 सीटों के लिए 722 उम्मीदवार मैदान में हैं और यहां बहुमत का आंकड़ा 64 है। राज्य की 15वीं विधानसभा का कार्यकाल 20 मई 2026 को समाप्त हो रहा है।

वहीं, केरल में 140 सीटों के लिए 833 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। यहां मुख्य राजनीतिक दलों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। सरकार बनाने के लिए 71 सीटों का बहुमत जरूरी है। राज्य में कुल 2.71 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 1.32 करोड़ पुरुष, 1.39 करोड़ महिलाएं और 273 थर्ड जेंडर वोटर्स शामिल हैं।

पुडुचेरी में 30 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से 5 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। यहां सरकार बनाने के लिए 16 सीटों का बहुमत जरूरी है। कुल 9.44 लाख मतदाताओं में लगभग 4.43 लाख पुरुष, 5 लाख महिलाएं और 139 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं।

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, नामांकन प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया था। असम में 1,388 नामांकन दाखिल हुए थे, जिनमें 817 उम्मीदवार थे। केरल में 2,117 नामांकन के साथ 1,252 उम्मीदवार और पुडुचेरी में 514 नामांकन के साथ 442 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। कुल मिलाकर 4,019 नामांकन दाखिल हुए, जिनमें 2,511 उम्मीदवार शामिल थे। हालांकि, स्क्रूटनी और नाम वापसी के बाद अंतिम उम्मीदवारों की संख्या घटकर लगभग 1,900 से ज्यादा रह गई है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत 'साइलेंस पीरियड' लागू है। इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में मतदान के बाद 4 मई को मतगणना होगी और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे।

ई–निविदा सूचना

F.No. E 142947 M-13/13/2026/23 दिनांक 07.04.2026

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड, विकास भवन, पोस्ट बॉक्स सं. 180, श्री विजय पुरम (अनिडको) की ओर से अलोनिवि या किसी अन्य सरकारी विभाग के ठेकेदारों से ऑनलाइन मद दर ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती है भले हो उनकी सूची इस शर्ते पर हो कि उन्हें सीपीडब्ल्यूडी वर्कस मैनुअल के अनुसार और इन द्वीपों में अन्य भारत सरकार संगठनों के साथ कार्य के प्रासंगिक परिमाण को क्रियान्वित करने का अनुभव है और उनके पास कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है :

एन.आई.टी.सं. अनिडको/सीडब्लू/26–27/टीडी – 02
कार्य का नाम : हट बे, लिटिल अण्डमान में आई एम एफ एल दुकान का आंतरिक संशोधन।
अनुमानित लागत : रु. 13,83,778/–
निविदा/बोली प्रसंस्करण शुल्क : लागू नहीं
बयाना राशि : रु. 27,676/–
कार्य पूर्ण करने की अवधि : 60 दिन
निविदा दस्तावेज प्रकाशन तिथि : 06.04.2026
निविदा दस्तावेज डाउनलोड/आरंभ तिथि : 07.04.2026 पूर्वाह्न 10.00 बजे
निविदा दस्तावेज जमा करने की आरंभ तिथि : 20.04.2026 पूर्वाह्न 10.00 बजे
निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि : 28.04.2026 अपराह्न 3.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि : 29.04.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे
निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।
निविदा आईडी : 2026_ANCVL_22610_1

महाप्रबंधक (सिविल कार्य), अनिडको

शपथ पत्र

मैं आनंद राज, स्वर्गीय सी. मलाई स्वामी का पुत्र, निवासी मकान नम्बर 33, तिरूर गांव, डाकघर हरबर्टाबाद, पुलिस थाना ओगराब्राज, फरारगंज तहसील के अंतर्गत, दक्षिण अण्डमान जिला, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह–744102, एतदद्वारा पूरी गंभीरता से यह पुष्टि और घोषणा करता हूँ कि :

1. माध्यमिक विद्यालय उत्तीर्ण प्रमाणपत्र में मेरे पिता का नाम गलती से 'मलाई स्वामी' दर्ज हो गया है, जबकि उनका सही नाम 'सी. मलाई स्वामी' है (जैसा कि मेरे जन्म प्रमाणपत्र और आधार कार्ड में दर्ज है) और इसका विस्तृत रूप 'चिन्नैया मलाई स्वामी' है (जैसा कि मेरे पैन कार्ड में दर्ज है)।
2. ये तीनों नाम 'मलाई स्वामी', 'सी. मलाई स्वामी' और 'चिन्नैया मलाई स्वामी' एक ही व्यक्ति के हैं और ये मेरे स्वर्गीय पिता के नाम हैं।
3. मैं यह शपथ पत्र इसलिए दे रहा हूँ ताकि पासपोर्ट में मेरे पिता का सही और विस्तृत नाम 'चिन्नैया मलाई स्वामी' के रूप में दर्ज किया जा सके।

उपरोक्त सभी कथन मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य और सही है।

शपथकर्त्ता

भारत की कृषि को चाहिए नवाचार और उच्च उत्पादकता: नीति आयोग

नई दिल्ली, 08 अप्रैल। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा है कि भारत के कृषि क्षेत्र में भविष्य के विकास को गति देने की अपार क्षमता है। उन्होंने इसे एक उभरता हुआ क्षेत्र बताया, जिसे देश के विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उच्च उत्पादकता और नवाचार की आवश्यकता है। श्री बेरी ने आज नई दिल्ली में जम्मू–कश्मीर में बागवानी विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाली रिपोर्ट जारी करते हुए यह बात कही। श्री बेरी ने अनाज, बागवानी और पशुपालन के बीच अंतर करने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि श्रम उत्पादकता और वास्तविक आय में वृद्धि के बिना केवल रोजगार सृजन ही पर्याप्त नहीं है। श्री बेरी ने यह भी कहा कि सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भूमि और श्रम उत्पादकता में सुधार होना चाहिए। उन्होंने नीदरलैंड की सफलता का जिक्र किया, जो अपने छोटे आकार के बावजूद एक प्रमुख कृषि निर्यातक देश है। श्री बेरी ने कहा कि जम्मू–कश्मीर जैसे क्षेत्रों में भी इसी तरह के मॉडल अपनाए जा सकते हैं।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड (सरकारी उपक्रम)

दुकान–सह–गोदाम की सूचना

F.No. M-17/1/2023-ASST MGR (IMFL)-ANIIDCO_AN/E-20022/64 दिनांक 06.04.2026

अनिडको लिमिटेड, श्री विजय पुरम को निम्नलिखित स्थानों पर आईएमएफएल दुकान चलाने के लिए 70 वर्ग मीटर या उससे अधिक के उपयोग योग्य क्षेत्र वाले दुकान–सह–गोदाम स्थान की आवश्यकता है –

क्रमांक	स्थान	दुकान–सह–गोदाम स्थान की आवश्यकता
क	**श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान जिला**	
1	सिप्पीघाट से गराचरमा	70 वर्ग मीटर या उससे अधिक
2	लंबा लाइन से स्कूल लाइन	70 वर्ग मीटर या उससे अधिक
3	बर्डलाइन	70 वर्ग मीटर या उससे अधिक
4	शादीपुर	70 वर्ग मीटर या उससे अधिक
5	शोर प्वाइंट /बम्बूफ्लैट	70 वर्ग मीटर या उससे अधिक

भवन पूरी तरह से आरसीसी संरचना का होना चाहिए और उसमें कार्यरत कर्मचारियों के लिए शौचालय और अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुरूप ओवरहेड टैंक, आपातकालीन निकास द्वार और अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुसार आवश्यक संशोधन होना चाहिए। भूमि व्यावसायिक प्रकृति की होनी चाहिए। दुकान, सक्षम प्राधिकारी से आईएमएफएल विक्रय लाइसेंस प्राप्त होने के बाद ही खोली जाएगी। किराया दुकान खुलने की तारीख से शुरू होगा और न्यूनतम किराये की अवधि पांच वर्ष की होगी।

इच्छुक पक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें सटीक स्थान, प्लिंथ क्षेत्रफल, उपयोग योग्य क्षेत्रफल, भवन की संरचना, भवन का डिजाइन, स्केच प्लान, विद्युत अनुपालन और ग्राम पंचायत/स्थानीय नगर पालिका द्वारा अनुमोदित भवन स्थिरता प्रमाणपत्र, प्रतिमाह किराए की मांग आदि का उल्लेख हो। साथ ही, एक उपक्रम भी दें कि उन्हें अपनी इमारत की जगह पर IMFL दुकान चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, यह नोटरी/एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित शपथ पत्र, भवन की नवीनतम स्वीकृति और व्यवसायिक रूपांतरण आदेश के रूप में एक वचनबद्धता भी होनी चाहिए। परिसर शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और धार्मिक स्थलों से 75 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। मुख्य सड़क से ट्रक द्वारा भवन तक पहुंचा जा सके।

सीलबंद लिफाफे में प्रस्ताव अनिडको विकास भवन, श्री विजय पुरम में 05 मई, 2026 को या उससे पहले दोपहर 3.00 बजे तक पहुँच जाने चाहिए और प्रारूप https://aniidco.and.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। उपरोक्त सीलबंद प्रस्ताव में दो अलग–अलग सीलबंद लिफाफे होंगे, जिन पर स्पष्ट रूप से "दस्तावेज विवरण" और दूसरे पर "वित्तीय प्रस्ताव" लिखा होगा। इसे एक तीसरे लिफाफे में रखना होगा, जिस पर बोली का शीर्षक, प्रस्ताव का स्थान, बोली लगाने वाले का नाम, पता और संपर्क संख्या लिखा होना चाहिए।

प्रबंध निदेशक, अनिडको बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखते हैं।

महाप्रबंधक (आईएमएफएल), अनिडको

केंद्र सरकार 9 से 23 अप्रैल तक देशभर में 8वां पोषण पखवाड़ा मनाएगी

नई दिल्ली, 08 अप्रैल। केंद्र सरकार 9 से 23 अप्रैल तक देशभर में 8वां पोषण पखवाड़ा 2026 मनाएगी। इस वर्ष का थीम है–"जीवन के पहले छह वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना।" यह अभियान कुपोषण मुक्त भारत के संकल्प को सशक्त करने के साथ–साथ जन–जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर पोषण पखवाड़ा का शुभारंभ 9 अप्रैल को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच यहां विज्ञान भवन में होगा। कार्यक्रम का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी करेंगी। उनके साथ राज्य मंत्री सवित्री ठाकुर और सचिव अनिल मलिक भी मौजूद रहेंगे।

कार्यक्रम की जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एक्स पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत यह पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत 9 से 23 अप्रैल तक देशभर में 8वां पोषण पखवाड़ा 2026 मनाया जाएगा। इस वर्ष का थीम 'जीवन के पहले छह वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना' है, जो हमारे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखने पर केंद्रित है।

पखवाड़े के दौरान देशभर के आंगनवाड़ी केंद्रों में माताओं, अभिभावकों, परिवारों और स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी से विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। इनमें पोषण पंचायतें, जागरूकता सत्र, शुरुआती उत्तेजना गतिविधियां, खेल आधारित शिक्षा और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने वाले अभियान शामिल होंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेष्ठ पहलें प्रदर्शित की जाएंगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के योगदान को भी रेखांकित किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एनआईसी वेबकास्ट प्लेटफॉर्म और मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर होगा।

मंत्रालय ने बताया कि छह वर्ष की आयु तक बच्चों का लगभग 85 प्रतिशत मस्तिष्क विकास हो जाता है। ऐसे में शुरुआती 1,000 दिन पोषण, देखभाल और सीखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस वर्ष के अभियान में मातृ एवं शिशु पोषण, स्तनपान और पूरक आहार पर जोर दिया जाएगा। साथ ही 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए संवेदनशील देखभाल और शुरुआती सीखने की गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।

छोटे उद्यमियों के लिए गेमचेंजर बनी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, करोड़ों को मिला फायदा

नई दिल्ली, 08 अप्रैल। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस दौरान योजना के तहत 57.79 करोड़ लोन के जरिए 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वितरण किया जा चुका है, जो वित्तीय समावेशन की दिशा में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को बिना गारंटी लोन उपलब्ध कराना है, जिन्हें पहले बैंकिंग सिस्टम से कर्ज नहीं मिल पाता था। इसके तहत छोटे गैर–कॉरपोरेट और गैर–कृषि व्यवसायों को 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है।

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस योजना ने एमएसएमई और छोटे उद्यमियों के लिए क्रेडिट सिस्टम को बदलने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों में करोड़ों लोगों ने आत्मविश्वास के साथ अपना व्यवसाय शुरू किया है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कुल लोन का लगभग दो–तिहाई हिस्सा महिलाओं को दिया गया है, जबकि करीब एक–पांचवां हिस्सा पहली बार व्यवसाय शुरू करने वाले उद्यमियों को मिला है। नए उद्यमियों को करीब 12. 15 करोड़ लोन दिए गए हैं, जिनकी कुल राशि लगभग 12 लाख करोड़ रुपए है।

वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने कहा कि यह योजना माइक्रो–उद्यमिता को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को मजबूत करने में अहम साबित हुई है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग कुल लाभार्थियों का करीब 51% हैं, जबकि महिलाओं की हिस्सेदारी 67% है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चार श्रेणियों – शिशु (50,000 रुपए तक), किशोर (50,000 से 5 लाख रुपए), तरुण (5 लाख से 10 लाख रुपए) और तरुण प्लस (10 लाख से 20 लाख रुपए) के तहत लोन प्रदान करती है, जो व्यवसाय के स्तर और जरूरत के अनुसार तय होते हैं।

यह योजना मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस और कृषि से जुड़े कार्यों के लिए टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करती है। सरकार का मानना है कि पीएमएमवाई आगे भी उद्यमियों को सशक्त बनाकर 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

पश्चिम एशिया में युद्धविराम का स्वागत कर भारत ने जताई स्थाई शांति की उम्मीद

नई दिल्ली, 08 अप्रैल। भारत ने ईरान–अमेरिका के बीच पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष में दोनों पक्षों के युद्ध विराम की घोषणा करने का स्वागत किया है। भारत ने कहा है कि दुनिया इसकी बहुत कीमत चुका चुकी है और उम्मीद है कि अब यह आगे स्थाई शांति की ओर बढ़ेगा।

विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि हम युद्धविराम का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इससे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित होगी। जैसा कि हमने पहले भी कई बार कहा है, मौजूदा संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए तनाव कम करना, संवाद और कूटनीति अत्यंत आवश्यक है।

बयान में कहा गया है कि इस संघर्ष ने पहले ही लोगों को भारी पीड़ा पहुंचाई है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति एवं व्यापार नेटवर्क को बाधित किया है। हम आशा करते हैं कि होर्मुज जलडमरूमध्य से निर्बाध नौवहन और वैश्विक व्यापार का प्रवाह जारी रहेगा।

उल्लेखनीय है कि अमेरिका आखिरकार संघर्ष विराम पर सहमत हो गया। इस पर इजराइल ने भी हां कर दी है। दोनों ने मध्यस्थ देशों का मान रख लिया और अब ईरान के साथ आमने–सामने की बातचीत की तैयारी की जा रही है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले से पश्चिम एशिया का सैन्य संघर्ष शुरू हुआ था।

दो माह 'ग्राउंडेड' रहने के बाद अब फिर से उड़ान भर सकेंगे तेजस लड़ाकू जेट

नई दिल्ली, 08 अप्रैल। लगभग दो महीने तक जमीन पर खड़े रहने के बाद अब फिर से तेजस लड़ाकू जेट उड़ान भर सकेंगे। लगातार तीन दुर्घटनाओं के बाद 'ग्राउंडेड' किये गए विमानों की जांच में कई खामियां मिली थीं, जिन्हें ठीक किये जाने के बाद वायु सेना ने उड़ान भरने की मंजूरी दी है। उड़ान पर रोक के चलते ही इसी साल 27 फरवरी को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुए 'वायु शक्ति' अभ्यास में स्वदेशी तेजस मार्क–1 शामिल नहीं हो पाया था।

दरअसल, 07 फरवरी को एक तेजस विमान पश्चिमी मोर्चे के एक फॉरवर्ड बेस से टेक ऑफ करते समय रनवे से फिसलकर पास की मिट्टी की खाई में जा गिरा था। सिंगल–सीटर एयरक्राफ्ट का पायलट बच गया, लेकिन उसे चोटें आईं थी। इसी दुर्घटना के बाद भारतीय वायु सेना ने अपने तेजस लड़ाकू जेट बेड़े को जमीन पर रोक दिया, क्योंकि यह तेजस विमान की तीसरी दुर्घटना थी। इससे पहले पहली दुर्घटना मार्च 2024 में जैसलमेर के पास हुई थी, जब पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुए 'वायु शक्ति' अभ्यास में प्रदर्शन करके लौटते समय क्रैश हो गया था। दूसरा क्रैश नवंबर 2025 में हुआ था, जब जेट दुबई एयरशो में एक एरोबैटिक डिस्प्ले में शामिल था। इस दुर्घटना में पायलट की मौत हो गई थी।

भारतीय वायु सेना ने इसके बाद लगभग 35 एकल सीट वाले तेजस हल्के लड़ाकू विमानों के अपने पूरे बेड़े को विस्तृत तकनीकी जांच के लिए जमीन पर रोक दिया, ताकि इसकी जांच करके प्रणालीगत दोष दूर किये जा सकें। ऐसी जांच आमतौर पर तब की जाती है, जब किसी संभावित तकनीकी खराबी का शक हो। जांच के दौरान वायु सेना और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) की कमेटी ने पाया कि विमान के ब्रेक सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से यह हादसा हुआ। विमान के ब्रेकिंग सॉफ्टवेयर में सुधार की जरूरत थी, जो किया गया।

केंद्र सरकार ने शुरू किया 'कौशल परिणाम निधि' अभियान, युवाओं को मिलेंगे रोजगार

नई दिल्ली, 08 अप्रैल। केंद्र सरकार ने देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए 'कौशल परिणाम निधि' अभियान की शुरुआत की है। इस निधि से देश के निम्न आय वर्ग के युवाओं को स्थायी और सम्मानजनक रोजगार दिया जाएगा।

केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने यहां बुधवार को अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत की कौशल विकास यात्रा अब परिणामों पर केंद्रित नए चरण में प्रवेश कर रही है। यह फंड युवाओं को वास्तविक अवसर, स्थायी रोजगार और काम की गरिमा दिलाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सरकार, उद्योग और परोपकारी साझेदारों को एक साथ लाकर बड़े पैमाने पर असर पैदा किया जा सकता है। 'कौशल परिणाम निधि' राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के तहत लागू की जाएगी और इसमें परोपकारी व गैर–लाभकारी संगठनों का सहयोग लिया जाएगा।

कौशल विकास मंत्रालय की वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार मनीषा सेंसरमा ने कहा कि भारत का कौशल विकास इकोसिस्टम परिपक्व हो रहा है और नीति विमर्श इनपुट से परिणाम की ओर बढ़ रहा है। परिणाम आधारित वित्तीय मॉडल जवाबदेही को मजबूत करेगा और निवेश को सीधे रोजगार परिणामों से जोड़ेगा।

इतिहास के पन्नों में 09 अप्रैल : अनशन से सत्ता परिवर्तन तक, इतिहास के दो अहम पड़ाव

नई दिल्ली, 08 अप्रैल। अनशन और जनआंदोलन जैसे शब्द भले ही आज के दौर में कम सुनाई देते हों, लेकिन 09 अप्रैल की तारीख हाल के इतिहास में ऐसे ही एक बड़े जनांदोलन की याद दिलाती है। वर्ष 2011 में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली के रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार अनशन किया था, जिसका समापन 09 अप्रैल को हुआ। इस आंदोलन ने देशभर में जनचेतना की लहर पैदा की और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को नई दिशा दी।

इस आंदोलन का प्रभाव केवल सामाजिक स्तर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिला। इसी आंदोलन से जुड़े रहे अरविंद केजरीवाल ने आगे चलकर सक्रिय राजनीति में कदम रखा और दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे। इस प्रकार 09 अप्रैल का दिन भारतीय राजनीति में एक अहम मोड़ के रूप में भी याद किया जाता है।

इतिहास के पन्नों में 09 अप्रैल की तारीख एक और बड़ी वैश्विक घटना के लिए दर्ज है। वर्ष 2003 में सद्दाम हुसैन के शासन के अंत का प्रतीकात्मक दृश्य इसी दिन दुनिया ने देखा। बगदाद के फिरदौस चौराहे पर लगी उनकी मूर्ति को गिरा दिया गया, जो उनके शासन के पतन का प्रतीक बन गया। इस तरह 09 अप्रैल केवल एक तारीख नहीं, बल्कि बदलाव, विरोध और इतिहास के निर्णायक क्षणों का प्रतीक बनकर सामने आती है।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र– 1669 – मुगल बादशाह औरंगजेब ने सभी हिन्दू स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया।

1860 – पहली बार मनुष्य की आवाज का अंकन किया गया।

1965 – कच्छ के रन में भारत–पाक में युद्ध छिड़ा।

1988 – ली पेंग चीन के प्रधानमंत्री बने।

1998 – सऊदी अरब में मीना के पास भगदड़ में 150 से अधिक यात्रियों की मृत्यु।

1988 – अमेरिका ने पनामा पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए।

1989 – एशिया की पहली सम्पूर्ण भूमिगत संजय जलविद्युत परियोजना शुरू की गयी।

1999 – नाइजर के राष्ट्रपति इब्राहिम बारे मैनसारा की हत्या, खालसा पंथ की त्रिशती पर विशेष डाक टिकट जारी।

2001 – अमेरिकी एयरलाइंस ने ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस का औपचारिक रूप से अधिग्रहण किया और वह उस समय दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई।

2002 – बहरीन में निगम चुनाव में महिलाओं को भी भाग लेने की छूट मिली।

शौर्य दिवस पर सलामः आज ही के दिन सीआरपीएफ जवानों ने लिखी थी कच्छ की शौर्यगाथा

नई दिल्ली, 07 अप्रैल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के सिपाहियों की वीरता अपने आम में एक मिसाल है. उनके अदम्य साहस को सलाम करने के लिए हर साल 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1965 में युद्ध के दौरान सीआरपीएफ की एक छोटी सी टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ की खाड़ी में पाकिस्तानियों के हमले की साजिश को नाकाम करते हुए 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था. इसमें केंद्रीय बल के छह जवान शहीद हो गए थे.

भारत–पाकिस्तान के बीच साल 1965 का युद्ध चल रहा था. 8–9 अप्रैल की रात में पाकिस्तानी 51 इन्फैन्ट्री ब्रिगेड ने डेजर्ट हॉक नाम का ऑपरेशन शुरू किया और कच्छ की खाड़ी में सीमा पर अचानक हमला बोल दिया. पाकिस्तानी ब्रिगेड में 3500 जवान शामिल थे. इनमें पाकिस्तान के 8 फ्रंटियर राइफल, 18 पंजाब बटालियान और 6 बलूच बटालियन के जवानों को शामिल किया गया था.

सीमा पर जिस क्षेत्र में पाकिस्तानियों ने हमला किया, उसकी सुरक्षा दो सीआरपीएफ बटालियन की सरदार पोस्ट के हवाले थे. इस बटालियन में 150 सीआरपीएफ जवान थे. यानी एक ओर थी पूरी सेना की टुकड़ी और दूसरी ओर अर्धसैनिक बल के गिने–चुने जवान. दुश्मनों के मुकाबले हमारे जांबाजों की संख्या बेहद कम थी पर इसका क्या करें कि जंग तो इरादों से जीती जाती है. पाकिस्तानियों के इरादे नेक तो थे नहीं, ऐसे में उसकी ताकत के सामने भारतीय जवानों का मनोबल ही काफी था.

हमले के वक्त सरदार पोस्ट के पूर्वी किनारे पर तैनात सीआरपीएफ के हेड कॉन्स्टेबल भावना राम ने वीरता की ऐसी मिसाल पेश की, जिससे हर कोई दंग रह गया. इसमें पोस्ट के दूसरे जवानों के साथ गुजरात की स्टेट रिजर्व पुलिस (एसआरपी) के जवान भी दुश्मनों के सामने सीना तान कर खड़े हो गए. दूर–दूर तक फैली रेत के कारण वैसे ही सीमा की सुरक्षा कर पाना बेहद मुश्किल होता था. ऐसे में अर्धसैनिक बल के लिए पूर्ण सेना का मुकाबल करना और भी मुश्किल था. फिर पहली बार कोई अर्धसैनिक बल किसी सेना का सीधे मुकाबला कर रहा था.

पाकिस्तान की सेना ने सरदार पोस्ट से जुड़े क्षेत्रों पर कब्जा करने की तीन कोशिशें की. हालांकि, सीआरपीएफ जवानों की शानदार बहादुरी और रणनीतिक इंटेलिजेंस के कारण उनकी एक नहीं चली. तीनों बार भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सेना की जीतने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. केवल 12 घंटे में लड़ाई खत्म हो गई और पाकिस्तान फौज को लौटना पड़ा.

इस लड़ाई में पाकिस्तान की सेना के 34 जवान मारे गए. इनमें दो अफसर भी थे. पाकिस्तानी अपने सभी साथियों के शव छोड़ गए थे. चार दुश्मन सैनिकों को सीआरपीएफ ने जिंदा पकड़ लिया था. हालांकि, इस युद्ध में सीआरपीएफ के छह जवान भी शहीद हो गए थे. उन्हीं की बहादुरी को नमन करते हुए हर साल 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाया जाता है.

इस हमले के वक्त तक यानी साल 1965 तक भारत–पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के कंधों पर ही थी. इस युद्ध के बाद सीमाओं की सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल का गठन किया गया और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को देश के अंदर सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई. साल 2001 में संसद पर हमले के वक्त भी सीआरपीएफ ने अदम्य साहस का परिचय दिया. सभी आतंकियों को सीआरपीएफ जवानों ने मार गिराया था.

आर्टेमिस II की झलकः Orion spacecraft के 32 कैमरों ने कैद कीं पृथ्वी–चंद्रमा की अद्भुत तस्वीरें

वॉशिंगटन, 8 अप्रैल। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने आर्टेमिस II मिशन के दौरान ली गई पृथ्वी और चांद की आश्चर्यजनक तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए नासा ने लिखा, "हेलो, चांद। यहां आकर बहुत अच्छा लगा।" आर्टेमिस II के अंतरिक्ष यात्री चांद का चक्कर लगाते हुए उसके उन हिस्सों को देख पाए, जिन्हें इंसानी आंखों ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने इन अनोखे नजारों को तस्वीरों और शब्दों में कैद कर लिया, जो हम आपको दिखा रहे हैं।

आर्टेमिस II मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसन ने पृथ्वी और चांद के कई यादगार नजारे कैमरे में उतारे और लगातार शेयर कर रहे हैं। इनमें पहली बार स्मार्टफोन से ली गई अंतरिक्ष तस्वीरें भी शामिल हैं। ओरियन स्पेसक्राफ्ट में कुल 32 कैमरे और फो 70टो–वीडियो लेने वाले उपकरण लगे हैं। इनमें 15 कैमरे स्पेसक्राफ्ट पर ही लगे हुए हैं, जो लॉन्च, सोलर एरे डिप्लॉयमेंट, चांद के चारों ओर यात्रा और अन्य महत्वपूर्ण पलों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाकी 17 हैंडहेल्ड डिवाइस चारों एस्ट्रोनॉट्स के पास हैं, जिनमें निकॉन डी5 डीएसएलआर, निकॉन जेड 9 मिररलेस कैमरा, गोप्रो और स्मार्टफोन शामिल हैं। ये सभी उपकरण इंजीनियरिंग, नेविगेशन, क्रू की निगरानी और चंद्रमा से जुड़े विज्ञान तथा आउटरीच गतिविधियों में मदद कर रहे हैं। नासा के अनुसार, ओरियन स्पेसक्राफ्ट पर लगे बाहरी कैमरे सोलर एरे से लेकर केबिन के अंदरूनी दृश्य तक हर कोण से मिशन को कैद कर रहे हैं। एक खास ऑप्टिकल नेविगेशन कैमरा पृथ्वी और चांद की तस्वीरें लेकर स्पेसक्राफ्ट को गहरे अंतरिक्ष में अपनी स्थिति तय करने में सहायता दे रहा है। चार सदस्यों वाले चालक दल ने इन आधुनिक कैमरों की मदद से पृथ्वी की ऐसी तस्वीरें ली हैं, जिनमें उत्तरी और दक्षिणी दोनों ओर ऑरोरा लाइट भी एक साथ दिख रही हैं। कुछ तस्वीरें स्मार्टफोन से ली गई हैं, जो अंतरिक्ष उड़ान के लिए पहली बार मंजूर हुई हैं।